

**श्री सुभाष सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त
तारांकित प्रश्न सं०-18/02/1896 का उत्तर प्रतिवेदन**

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| <p>क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-</p> <p>1. क्या यह बात सही है कि गोपालगंज एवं सिवान जिला में बहने वाली दाहा नदी के तल सफाई, जीर्णोद्धार एवं दोनों किनारों पर बाँध निर्माण से सम्बंधित 112 करोड़ का डीपीआर दो वर्ष पूर्व मुख्यालय को स्वीकृति हेतु भेजा गया था, जो आज तक लंबित है,</p> | <p>वस्तुस्थिति यह है कि दाहा नदी गोपालगंज जिला के कोचायकोट प्रखंड के सालेहपुर ग्राम के समीप सिसवा चौर से निकलती है जो सिसवा नहर पर निर्मित क्रॉस ड्रेनेज के माध्यम से सिवान जिला से होते हुए सारण जिला के मांझी प्रखंड के फुलवरिया ग्राम के पास अंततः घाघरा नदी में मिल जाती है।</p> |
| <p>2. क्या यह बात सही है की नदी की सफाई एवं जीर्णोद्धार नही होने से बरसात के दिनों में नदी तथा नदी के तटीय क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है, जिससे गोपालगंज एवं सिवान जिल के 06 से अधिक प्रखंडों में व्यापक फसल क्षति होता है,</p> | <p>वर्णित नदी में आंशिक रूप से गाद जमा होने के कारण जल जमाव की स्थिति होती है।</p> <p>वर्तमान में सारण जिलान्तर्गत बाढ़ एवं जल निकासी के समेकित उद्देश्य से योजना तैयार की गई है जिसमें दाहा नदी का रिसेक्सनिंग कार्य सम्मिलित है। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा इस योजना को अनुशंसोपरान्त इसके तकनीकी मूल्यांकन हेतु जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार में समर्पित किया गया है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त योजना के कार्यान्वयन निमित्त कार्रवाई की जायेगी।</p> |
| <p>3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकरात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त नदी का तल सफाई, जीर्णोद्धार एवं दोनों किनारों पर बाँध का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?</p> | <p>वर्तमान में सारण जिलान्तर्गत बाढ़ एवं जल निकासी के समेकित उद्देश्य से योजना तैयार की गई है जिसमें दाहा नदी का रिसेक्सनिंग कार्य सम्मिलित है। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा इस योजना को अनुशंसोपरान्त इसके तकनीकी मूल्यांकन हेतु जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार में समर्पित किया गया है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त योजना के कार्यान्वयन निमित्त कार्रवाई की जायेगी।</p> |

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-25 / वि0स0प्र0(गो0)-05-68 / 2026-

प्रतिलिपि- उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को अष्टादश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के लिये प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0-18/2/1896 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक-

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25 / वि0स0प्र0(गो0)-05-68 / 2026-

प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक-

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25 / वि0स0प्र0(गो0)-05-68 / 2026-

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक-

ह0/-


(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25 / वि0स0प्र0(गो0)-05-68 / 2026- 1345

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक- 20/03/2026



(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

